न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
126 / 2020	21.10.2020	12.02.2021

उनवान

1 रामप्रताप पुत्र प्रसादी जाति अही निवासी मैनपुर बास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: वादी

बनाम्

1. मंगलिया पुत्र प्रसादी जाति अहीर निवासी मैनपुर बास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0। (लैण्ड होल्डर)
3. श्रीमान मैनेजर भरतपुर आचलिक ग्रामीण बैक शाखा सोडावास।
4. श्रीमान मैनेजर पंजाब नेशनल बैक शाखा ततारपुर जिला अलवर राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावा 53 व 188 राज0 कास्त0 अधि0

–: अन्तिम पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **गंगाराम पटेल चौधरी एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से **श्री पृथ्वीसिंह यादव एडवोकट** की उपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 12.02.2021** को **श्री रामसिंह राजावत, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और अन्तिम डिक्री दी जाती है**:–

" तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा पेश कुरेजात प्रस्ताव पर वादी का वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया जाकर वाके ग्राम चिरूणी तहसील मुण्डावर, जिला अलवर में स्थित भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 1024 रकबा 2.71 है0 अनुसार वादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव प्रदर्श "अ" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल, तरमीम करावे। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काश्त/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करे।"

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.02.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.18 09:54:37 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०